

प्रेषिका,

संगीता कुमारी,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट संख्या-3,
गाजियाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, जनपद गाजियाबाद।

विषय:

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र सं० 9691/IV-F-82(Pention)/
Admin (A) दिनांकित 16 जुलाई 2024 तथा शासनादेश संख्या -14/2024/
सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांकित 28 जून 2024 एवं
सहपठित शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/X-2024/301 (1) /
2024 दिनांकित 11-07-2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प का चयन
करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में
उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26-05-2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-
2430/दो-4-06-32 (1)2001 टीसी-1) से हुई थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त के अनुक्रम में
दिनांक 16-06-2006 को जनपद रामाबाई नगर में अपर सिविल जज जू०डि० के रूप में कार्यभार ग्रहण
किया था। अधोहस्ताक्षरी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003 के
रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार
अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024 /301(1) 2024
दिनांकित 28-06-2024 , एवं सहपठित शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/X-
2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11-07-2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आछादित
है तथा अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करती है।

अतः अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या 14-2024-सा-3-243/दस-2024 /301(1)
2024 दिनांकित 28-06-2024 एवं सहपठित शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/X-
2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11-07-2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन
योजना में शामिल करने हेतु प्रेषित कर रही है। तदक्रम में माननीय महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी
को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

सलंग्रक-विकल्प पत्र

भवदीया,

दिनांक-03-08-2024

Sangita
03/08/2024
(संगीता कुमारी)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कोर्ट संख्या-3,
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन संख्या-621/xv दिनांक-03.08.2024
अग्रसारित,

माननीय महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

Valsal Sureshwar
03/08/2024

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

विकल्प पत्र

1. नाम- संगीता कुमारी आई०डी० नं०-UP6460
2. वर्तमान पदनाम- तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गाजियाबाद ।
3. वेतनमान-₹144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग/उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा ।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं० ए-2/ई-1-/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26 मई 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 4 विज्ञप्ति संख्या 2430/दो -04-06-32(1)/2001 टीसी 1 द)
8. योगदान की तिथि- 16 जून 2006
9. जन्म तिथि- 01-06-1976
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 31-05-2036

मैं संगीता कुमारी पत्नी श्री राकेश कुमार शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर

नाम-संगीता कुमारी

पदनाम.-तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय गाजियाबाद

घोषणा पत्र

मैं, संगीता कुमारी, पदनाम तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गाजियाबाद, यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं.-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम- संगीता कुमारी

पदनाम-तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय गाजियाबाद ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती संगीता कुमारी पदनाम तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गाजियाबाद, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति प्रदान की जाती है।

Valsal Srivallans
03/08/2024

कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।